राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोन नं: 0141–2705484 email- rajssa_ied@yahoo.co.in, iedss.rmsaraj@gmail.com

क्रमांक : राज0स्कूल0शि0प0/जय/आईईडी/2018–19/7974 दिनांक : 26/10/18

दिशा–निर्देश
(सत्र 2018–19)

" वातावरण निर्माण कार्यक्रम

राज्य में विशेष आवश्यकता वाले प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं को मुख्यधारा में समायोजन, समाज में इनके प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण, भेदभाव को रोकने, उनकी अन्तर्निहित योग्यताओं को बढ़ाकर उत्साहवर्द्धन करने, इनके अधिकारों एवं क्षमताओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से समावेशित शिक्षा के " **Environment Building programme**" उपमद के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं हेतु " **वातावरण निर्माण कार्यक्रम** " का आयोजन किया जाना है। "**वातावरण निर्माण कार्यक्रम का आयोजन**'' **समस्त जिला मुख्यालय पर दिनांक 18–19 जनवरी, 2019 को आयोजित किया जायेगा।** इस हेतु दो दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन निम्न प्रकार किया जायेगा :–

प्रथम दिवस

विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को सम्बलन एवं उनकी अन्तर्निहित योग्यताओं को बढ़ाकर उत्साहवर्द्धन करने के उद्देश्य से कार्यक्रम के प्रथम दिवस में विभिन्न क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना है। प्रतियोगिता का आयोजन निम्नानुसार किया जायेगा :–

- **मानसिक विमंदित बालक–बालिकाओं हेतु :–**
  - **(अ) सामूहिक गतिविधियाँ**
    - ✓ रूमाल झपट्टा, सामूहिक नृत्य, कोलाज वर्क , चित्रकला
  - **(ब) एकल गतिविधियाँ**
    - ✓ तेज चाल, कुर्सी दौड, गुब्बारा फोड, एकल नृत्य, विचित्र वेशभूषा
- **श्रवण बाधित बालक–बालिकाओं हेतु :–**
  - **(अ) सामूहिक गतिविधियाँ**
    - ✓ खो–खो, समूह नृत्य, रस्सा कशी, चम्मच दौड़
  - **(ब) एकल गतिविधियाँ**
    - ✓ दौड – 50 मीटर एवं 100 मीटर, जलेबी दौड, पोस्टर प्रतियोगिता, एकल नृत्य, विचित्र वेशभूषा
- **अस्थि विकलांग बालक–बालिकाओं हेतु :–**
  - **(अ) सामूहिक गतिविधियाँ**
    - ✓ रूमाल झपट्टा, समूह गान, गोलियाँ गिनकर भागना, ब्लॉक जमाना
  - **(ब) एकल गतिविधियाँ**
    - ✓ ट्राई साईकिल दौड़/बैसाखी दौड़, कुर्सी दौड़, पोस्टर प्रतियोगिता, एकल गायन,
- **दृष्टिबाधित बालक–बालिकाओं हेतु :–**
  - **(अ) सामूहिक गतिविधियाँ**
    - ✓ रस्साकशी, समूह गायन,
  - **(ब) एकल गतिविधियाँ**
    - ✓ तेज चाल – 50 मीटर, दिशा ज्ञान, एकल गायन,

www.rajteachers.com

- ब्रेल लेखन प्रतियोगिता :– यह प्रतियोगिता सिर्फ दृष्टिबाधित बालक–बालिकाओं हेतु आयोजित की जायेगी। उक्त प्रतियोगिता में ब्रेल लेखन हेतु बालक–बालिकाओं को कक्षा के स्तर के अनुसार पाठ्य पुस्तकों में से वाक्य/पैरा का डिक्टेशन देते हुए इन्हे ब्रेललिपि में लिखवाया जायेगा। तत्पश्चात् उक्त बालक–बालिकाओं को ही उनके द्वारा लिखे गये वाक्य/पैरा को पढ़वाया जायेगा तथा दिये गये डिक्टेशन से वाक्य/पैरा का मिलान करते हुए उक्त में पायी गई त्रुटियों के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान का चयन किया जायेगा।
- ब्रेल पठन प्रतियोगिता :–ब्रेल पठन प्रतियोगिता हेतु पूर्ण दृष्टिबाधित बालक–बालिकाओं को कक्षानुसार ब्रेल पुस्तकों के माध्यम से पठन करवाया जायेगा तथा बालक–बालिका द्वारा पठन किये गये विषय का प्रिन्ट वाली पाठ्य पुस्तकों से मिलान करते हुए त्रुटियों के आधार पर विजेता का चयन निर्णायक मण्डल द्वारा किया जायेगा।
- स्पर्श कौशल ***(Tactile Skill)*** संबंधी प्रतियोगिता :– इस प्रतियोगिता के अन्तर्गत पूर्ण दृष्टिबाधित बालक–बालिकाओं हेतु निम्नांकित प्रतियोगिताएं आयोजित करवायी जायेंगी –
  - **रूपये–पैसे की पहचान**– उक्त प्रतियोगिता में पूर्ण दृष्टिबाधित बालक–बालिकाओं को विभिन्न नोट एवं सिक्के जैसे– 5, 10, 50, 100 इत्यादि के नोट को स्पर्श कर पहचानने हेतु दिया जायेगा।
  - **विभिन्न प्रकार के एवं Texture आकार की वस्तुओं की पहचान**– बालक–बालिकाओं को विभिन्न आकार जैसे– आयत,वर्ग, त्रिभुजकार इत्यादि को स्पर्श कर पहचानने हेतु दिया जायेगा।
- घ्राण कौशल ***(Smelling Skill)*** संबंधी प्रतियोगिता :– इस प्रतियोगिता के अन्तर्गत निम्नांकित प्रतियोगिताएं आयोजित करवायी जायेंगी
  - **विभिन्न फलों/फूलों की पहचान** –उक्त प्रतियोगिता में पूर्ण दृष्टिबाधित बालक–बालिकाओं को विभिन्न प्रकार के फल/फूलों इत्यादि को सूंघकर पहचानने हेतु दिया जायेगा।
  - **विभिन्न मसालों की पहचान** ––उक्त प्रतियोगिता में पूर्ण दृष्टिबाधित बालक–बालिकाओं को विभिन्न प्रकार के मसाले जैसे– हल्दी, धनिया, लौंग, हींग इत्यादि को सूंघकर पहचानने हेतु दिया जायेगा।
- श्रवण कौशल ***(Auditory Skill)*** संबंधी प्रतियोगिता :– इस प्रतियोगिता के अन्तर्गत पूर्ण दृष्टिबाधित बालक–बालिकाओं हेतु निम्नांकित प्रतियोगिताएं आयोजित करवायी जायेंगी –
  - **आवाज द्वारा सहपाठियों की पहचान** –उक्त प्रतियोगिता में बालक–बालिकाओं से उनके विद्यालय में अध्ययनरत सहपाठियों की पहचान उनकी आवाज के द्वारा करवायी जायेगी।
  - **विभिन्न प्रकार के आवाजों की पहचान** –उक्त प्रतियोगिता में बालक–बालिकाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के आवाजों जैसे– विभिन्न प्रकार की घंटियों यथा– साईकिल की घंटी, ऑफिस की घंटी, मन्दिर की घंटी इत्यादि की आवाज की पहचान करवायी जायेगी।

- स्पर्द्धा में यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रतिस्पर्द्धा में दोष (Disability) व आयु की समानता हो। उक्त प्रतियोगिताओं के आयोजन में आयु अनुसार बालक एवं बालिकाओं के अलग–अलग समूह बनाये जावेंगे, जिसमें आवश्यकतानुसार 10 प्रतिशत सामान्य बालक–बालिकाओं की भागीदारी भी की जा सकेगी। प्रतियोगिता संबंधी गतिविधियों में इन बच्चों को सामान्य बालक–बालिकाओं के साथ सहयोगात्मक एवं सकारात्मक तुलना का अवसर प्रदान कर इनमें विश्वास जाग्रत किया जा सके।
- विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं हेतु निबंध लेखन, क्वीज प्रतियोगिता , पोस्टर निर्माण एवं पेन्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है।

प्रतियोगिता कार्यक्रम में निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाये –

- प्रतियोगिताओं के संचालन एवं निर्णय हेतु अधिकतम दो शारीरिक शिक्षकों को बुलाया जा सकेगा एवं आवश्यकतानुसार संदर्भ शिक्षकों की सहायता ली जा सकेगी। इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।
- प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बालक–बालिकाओं के चयन हेतु निर्णायक मण्डल का गठन किया जाये, जिसमें विषय के विशेषज्ञ आवश्यक रूप से सम्मिलित हो।

www.rajteachers.com

- प्रतियोगिता के प्रथम एवं द्वितीय, तृतीय विजेताओं एवं अन्य सभी संभागियों को सांत्वना पुरस्कार एवं प्रमाण पत्रों का वितरण किया जावेगा।
- वातावरण निर्माण कार्यक्रम का आयोजन यथा संभव जिला स्तर पर स्थापित संदर्भ केन्द्र वाले विद्यालय में किया जावे।
- संभागियों के रात्रि विश्राम हेतु सुरक्षित एवं उपयुक्त स्थान की व्यवस्था की जावेगी।
- सभी कार्मिकों का रात्रि विश्राम आवश्यक रूप से बालक–बालिकाओं के साथ ही रहेगा।
- बालक–बालिकाओं को रात्रि विश्राम की पृथक्–पृथक् व्यवस्था की जायेगी। बालिकाओं के साथ महिला शिक्षिका का होना अनिवार्य होगा।

द्वितीय दिवस

- कार्यक्रम का प्रारंभ रैली से किया जाएगा। रैली में विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं के संबंध में जागरूकता लाने ,समग्र शिक्षा अभियान की योजनाओं की जानकारी से संबंधित झाँकी, फ्लैक्स, बैनर एवं नारे लिखी हुई तख्तियों का प्रदर्शन किया जाएगा। रैली को जिला मुख्यालय के प्रमुख मार्गो से गुजारा जाएगा। रैली का समापन,कार्यक्रम आयोजन स्थल (जहाँ प्रदर्शनी एवं अन्य गतिविधियाँ आयोजित की जाएगी) पर किया जायेगा।
- कार्यक्रम आयोजन स्थल पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में समावेशित शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं यथा संदर्भ कक्ष, ब्रेलबुक्स, ब्रेलकिट, विभिन्न अंग–उपकरण, पोलियो करैक्टिव सर्जरी एवं साईट रेस्टोरेशन सर्जरी के फोटोग्राफ्स आदि की स्टॉल लगाकर प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ–साथ अन्य समस्त गतिविधियों की जानकारियाँ भी प्रदर्शित की जाएगी एवं वृक्षारोपण भी किया जाये।
- जिले में दिव्यांगता के साथ सफलतापूर्वक जीवन यापन करने वाले एक या दो सफल व्यक्तियों को मंच पर बुलाया जाकर इनके सफलता के अनुभव शेयर किये जाएंगे।
- होमबेस्ड एज्यूकेशन के ऐसे बच्चे जिन्हें मुख्यधारा से जोडा गया है तथा राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत अन्य विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को मंच पर बुलाया जाकर इनके अनुभव शेयर किये जाएंगे।
- कार्यक्रम के आयोजन हेतु द्वितीय दिवस समय विभाग–चक निम्नानुसार हैः –

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	समय
1	रैली की रवानगी	9.30 से 11.00 तक
2	जलपान	11.00 से 11.30 तक
4	प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं वृक्षारोपण	11.30 से 1.15 तक
5	लंच	1.15 से 2.00 तक
6	अनुभव शेयर एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन	2.00 से 3.00 तक
7	उद्बोधन	3.00 से 3.30 तक
8	पुरस्कार वितरण	3.30 से 4.00 तक
9	धन्यवाद ज्ञापन	4.30 बजे

- कार्यक्रम में भाग लेने हेतु जिले के सभी ब्लॉक से विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं, इनके सहपाठियों (10 प्रतिशत सामान्य बालक–बालिकाओं), इनके अभिभावकों एवं विद्यालय के शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा।

www.rajteachers.com

- कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु निम्नानुसार जिला मुख्यालय पर एक कमेटी गठित की जाएगी :–
  - जिला कलक्टर के प्रतिनिधि – अध्यक्ष
  - जिला समाज कल्याण अधिकारी – सदस्य
  - जिला परियोजना समन्वयक,समसा – सदस्य
  - अति0 जिला परियोजना समन्वयक,समसा – सदस्य सचिव
  - सहायक परियोजना समन्वयक, समसा – सदस्य
  - जिला समन्वयक (आईईडी) – सदस्य
  - जिले में निःशक्तता के क्षेत्र में कार्य करने वाले दो गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि – सदस्य
- उक्त कमेटी द्वारा कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु समस्त व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जाएंगी।

वित्तीय मानदण्ड –

- **कार्यक्रम हेतु प्रति जिला अधिकतम ₹ 1,00,000/– (एक लाख रूपये मात्र) का प्रावधान है।**
- **कार्यक्रम के आयोजन पर प्रति जिला अधिकतम ₹ 1,00,000/– (एक लाख रूपये मात्र) का व्यय** 'Environment Building programme" उपमद के अन्तर्गत **निम्नानुसार किया जा सकेगा** :–

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	दर	राशि लाखों में
1	रैली एवं झाँकी के आयोजन हेतु बैनर, पोस्टर, वाहन व्यवस्था इत्यादि	अधिकतम	5,000
2	संभागियों हेतु आवास व्यवस्था।	30x300	9,000
3	संभागियों हेतु चाय, 2 नाश्ता एवं 3 भोजन	300 संभागियों	45,000
4	टेन्ट,माईक एवं पांडाल व्यवस्था	अधिकतम	8,000
5	पुरस्कार/प्रतीक चिन्ह (समस्त)	अधिकतम	7,000
6	स्टेशनरी एवं कन्टींजेन्सी	अधिकतम	2,500
7	फोटोग्राफी/वीडियो रिकोर्डिंग	अधिकतम	2,500
8	अभिभावक,बच्चों एवं शिक्षकों हेतु आने–जाने का किराया	वास्तविक	21,000
		योग	**1,00,000**

- उक्त उप मदों में आवंटित राशि में किसी उपमद में अपरिहार्य स्थिति में राशि कम पडने पर परिषद् की अनुमति से राशि समायोजित की जा सकेगी। यह परिवर्तन उपमद में आवंटित राशि की अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा में ही किया जा सकेगा तथा **कुल व्यय किसी भी स्थिति में ₹ 1,00,000/(एक लाख रूपये मात्र) से अधिक नही किया जायेगा।** आयोजन हेतु किये गये व्यय का भुगतान चैक द्वारा अथवा बैंक खाते में किया जायेगा।
- **व्यय नियमानुसार निविदा प्रकिया अपनाकर किया जायेगा।**
- व्यय समायोजन 15 दिवस में किया जायेगा।
- कार्यक्रम का आयोजन किसी बड़े राउमावि/संदर्भ कक्ष वाले विद्यालय में किया जा सकता है जहां विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ निःशुल्क उपलब्ध हो।
- जिले में अन्य सरकारी विभागों द्वारा यदि दिव्यांगता के क्षेत्र में कोई पुरस्कार दिया जाता है तो प्रयास किया जाए कि वह इसी कार्यक्रम के दौरान प्रदान किये जाएँ एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाए।
- यदि जिले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो दोनों समारोह आपसी समन्वय द्वारा एक ही स्थान पर आयोजित किये जाने के प्रयास किये जावे।
- उक्त समिति द्वारा कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु समस्त व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जाएंगी तथा पुरस्कार हेतु योग्यतम कार्मिकों का चयन किया जाएगा।

www.rajteachers.com

कार्यक्रम में भामाशाह/दान–दाताओं का सहयोग लिया जाकर प्रभावी आयोजन किया जा सकता है।
- कार्यक्रम के प्रभावी आयोजन हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न संचार माध्यम जैसे– एफएम रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, समाचार पत्र आदि का सहयोग लिया जा सकता है।
- प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ्स आयोजन उपरान्त 15 दिवस में परिषद् मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(शिवांगी स्वर्णकार)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : राज0स्कूल0शि0प0/जय/आईईडी/18–19/7975 दिनांक : 26/10/18

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, राजस्थान।
5. निजी सहायक, अति0 राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6. निजी सचिव, वित्त नियत्रंक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्राशि/माध्यमिक शिक्षा एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक।
9. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
10. रक्षित पत्रावली।

(रामनिवास जाट)
अति0 राज्य परियोजना निदेशक

www.rajteachers.com